

**महिला एवं बाल कल्याण विभाग  
उत्तर प्रदेश शासन**

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन/ पति की मृत्यु के उपरान्त निराश्रित महिला पेंशन  
योजना के लिए आवेदन पत्र का प्रारूप  
(जो लागू न हो काट दिया जा)

आवेदिका का  
पासपोर्ट साइज  
फोटो

1. आवेदिका का नाम.....पति का नाम.....
2. जाति .....उपजाति.....
3. पता- म0सं0.....ग्राम /मोहल्ला.....  
ग्राम पंचायत/ वार्ड.....थाना.....  
पोस्ट आफिस.....विकास खण्ड/नगर निकाय.....  
तहसील.....जनपद.....
4. जन्म तिथि (आवेदन पत्र भरने की तिथि को).....आयु.....वर्ष.....माह.....दिन.....  
(आयु प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाए। आयु प्रमाण-पत्र हेतु मतदाता पहचान-पत्र/परिवार रजिस्टर/शैक्षिक  
[प्रमाण-पत्र/राशनकार्ड](#) अथवा संबंधित ग्राम प्रधान या संबंधित नगर निकाय के अध्यक्ष/महापौर द्वारा दिया गया  
प्रमाण-पत्र)
5. आवेदिका से संबंधित सदस्यों का विवरण:-

(क) पुत्र उम्र व्यवसाय

- 1.
- 2.
- 3.

(ख) पुत्री उम्र व्यवसाय

- 1.
- 2.
- 3.

(ग) पुत्र का पुत्र उम्र व्यवसाय

- 1.
- 2.
- 3.

6. पहचान चिन्ह.....
7. बैंक एवं शाखा का नाम .....
- बचत खाता सं०.....(दस/अधिक अंक का)
8. फोन नं० (स्वयं/किसी निकट प्रतिनिधि का).....

### शपथ –पत्र

मैं प्रमाणित करती हूँ कि—

1. मैं/मेरा परिवार बी०पी०एल०/अन्योदय कार्ड धारक हूँ/है एवं मैं गरीबी रेखा के नीचे निवासरत् हूँ (शहरी क्षेत्र के लिए) मेरा/मेरे परिवार के मुखिया का नाम बी०पी०एल० सूची, 2002 के क्रमॉक .....पर दर्ज है।
2. मुझे अन्य किसी स्रोत से कोई पेंशन अथवा कोई सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं हो रही है।
3. मैं उत्तर प्रदेश की निवासी हूँ।

आवेदिका का नाम एवं हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशान

### घोषणा

1. मैं यह घोषणा करती हूँ कि यदि उपरोक्त विवरण/सूचना गलत अथवा असत्य पायी जाती है तो जो मुझे विधवा पेंशन के रूप में दी गई है, उसे भू-राजस्व के बकाये की भाँति वसूल कर ली जाए।
2. मैं घोषणा करती हूँ कि समस्त स्रोत से मेरी आय बी०पी०एल० श्रेणी की आये से ऊपर नहीं है।

आवेदिका का नाम एवं हस्ताक्षर अथवा अंगूठा निशान